कृषि कुंभ
हिंदी मासिक पत्रिका

खण्ड 03 भाग 07, (दिसंबर, 2023)
पृष्ठ संख्या 22–24

ग्रामीण ऋणग्रस्तताः समस्या और समाधान

केशरीनाथ त्रिपाठी[1], शिवानी शर्मा[2], अंकित सिंह[3] एवं संजीव पांडे[1],
[1]शोध विद्यार्थी, [2]सहायक प्रोफेसर,
[1,2]एल.एन.सी.टी. विश्वविद्यालय, भोपाल
[3]शोध विद्यार्थी, उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत।

Email Id: keshrinath.tripathi@gmail.com

ग्रामीण ऋणग्रस्तता

हमारा भारत कृषि प्रधान देश रहते हुए भी यहां के बहुत से किसान ऋणी है। कृषि की प्रधानता होते हुए भी पर्याप्त जमीन होते हुए भी किसान अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि किसान पूरी तरह से जागरूक नहीं है और जागरूक हो तो भी कैसे हर व्यक्ति अपनी कमाई के बारे में ही सोचता है उसको दूसरे के नुकसान से कोई मतलब नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको जैसे कि अगर कोई एग्रीकल्चर कंपनी का कोई भी व्यक्ति अगर वह कंपनी प्रचार प्रसार करता है तो वह कंपनी के प्रोडक्ट का ब्रांड नाम बताता है और ना कि टेक्निकल नाम बताता है। टेक्निकल नाम नहीं बताता है क्योंकि उसको पता है कि अगर टेक्निकल नाम बताऊंगा तो किसान किसी दूसरी कंपनी का भी प्रोडक्ट खरीद सकता है और जागरूक भी हो सकता है। इसलिए जागरूकता का अभाव इससे भी बढ़ता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में, लगभग 58ः आबादी को रोजगार प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2023 में, पूरे भारत में ग्रामीण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 39 प्रतिशत कृषि क्षेत्र से था। केंद्रीय राज्य मध्य प्रदेश में कृषि का ग्रामीण सकल घरेलू उत्पाद योगदान सबसे अधिक 52 प्रतिशत था।

हमारे भारत देश का ज्यादातर किसान जो खेती करते हैं, वह बस यह सोचते हैं कि हमारा जीवन यापन बस आसानी से हो सके। अगर वह उत्पादन को बेचने के हिसाब से ही ध्यान दें और यह सोचें की कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके हम अपनी आर्थिक स्थिति तथा अपने राज्य की अपने भारत देश की आर्थिक स्थिति में योगदान दे सकते हैं। अगर ऐसा सोचकर वह फसल उत्पादन करें तो शायद कोई भी किसान ऋणी नहीं होगा।

हमारे भारत देश में किसान निम्न कारणों से ऋणी है–

1. **जागरूकता का अभाव**–किसानों को फसलोत्पादन के साथ–साथ फसल में लगने वाले कीड़े, रोग और दवाइयां के बारे में उचित जानकारी न होने के कारण वह सही फसल का चयन तथा सही तरीके से खेती नहीं कर पाता है क्योंकि जागरूकता का अभाव बहुत है।
2. **पूंजी का अभाव** – किसानों के पास पर्याप्त पूंजी ना होने के कारण वह उचित हाइब्रिड बीज नहीं लगा पता है। सही टाइम पर फसलों को खाद नहीं दे पाता है। जिसके

कारण अच्छा प्रोडक्शन वह नहीं ले पता है। जिससे किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ती नहीं कर पाता है। और वह किसी से ऋण लेकर अपना पूरा कार्य करना है , जिससे वह ऋणी हो जाता है।

3. **प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) का अभाव**– किसानों को टेक्नोलॉजी के बारे में उचित जानकारी ना होने के कारण वे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सही उत्पादन नहीं ले पाता है , टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो कार्य कम समय में किया जा सकता है। अभाव होने के कारण वह सही टाइम पर कार्य पूरा नहीं कर पाता है। क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी का उचित ज्ञान नहीं रहता है।

4. **रोजगार का अभाव**– किसान के घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो गवर्नमेंट जॉब करता हो क्योंकि किसान इतना सक्षम नहीं होता है कि वह अपने बेटे को अच्छी तरीके से पढ़ा सके, क्योंकि वह पहले से ही ऋणी होता है। ऋण ले लेकर वह अपने बच्चों को भी पढ़ता है। जिसके कारण रोजगार के अभाव के कारण ही वह अपने बेटे को सही जगह पर दाखिला नहीं करवा पाता है।

5. **भेदभाव करना**– जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उसकी नकल करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। बस यही बातों को लेकर पीछे रहते हैं। जाति के अकॉर्डिंग कुछ व्यवसाय नहीं करते हैं। यह सोचते हैं कि अगर मैं यह व्यवसाय करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे कि इस धर्म का होकर और यह कार्य कर रहे हैंद्य

6. **सूचना एवं संचार का अभाव**– जिस प्रकार हमारे भारत देश में टिड्डी का प्रकोप बढ़ा था और टिड्डी का इतना ज्यादा प्रकोप था कि जहां से वो टिड्डी गुजर रही थी, वह फसल पूरी खराब हो जा रही थी तो जहां पर इंफॉर्मेशन पहले मिल गया तो कुछ लोगों ने किसी भी तरीके से उस को बचाने का प्रयास किया और जहां इंफॉर्मेशन नहीं मिला, वहां पर फसल को बहुत ज्यादा हानि हुई। सही समय पर उचित जानकारी ना मिलने के कारण फसल खराब होते समय पता नहीं चल पाता है कि क्या रोग है। क्या दवा डालनी हैं जिसके कारण वह किसान सही उत्पादन नहीं ले पाता है और जिसके कारण वह ऋणी रहता है।

7. **यूनिटी का अभाव** – किसानों में यूनिटी नहीं होने के कारण किसान को सही रेट नहीं मिल पाता है क्योंकि अगर वह यूनिटी में होता है तो दूसरे मार्केट में जाकर वस्तु को सही रेट पर बेच सकता है। क्योंकि अगर हम किसी दो बोरे अनाज को अगर मार्केट में ले जाते हैं तो उसका सही मोलभाव, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज ज्यादा लग जाता हैं। लेकिन अगर वहीं पर 4–5 किसान एक साथ मिलकर 2–2 बोरे भी अगर इकट्ठा करते हैं तो ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी कम हो जाता है और रेट भी सही मिल जाता है।

8. **मंडियों का अभाव** : – किसान सही प्रोडक्शन करने के बाद भी उसको सही रेट नहीं मिल पाता है। क्योंकि मंडियों की संख्या कम होने के कारण उत्पादित वस्तुओं का सही रेट नहीं मिल पाता है क्योंकि वह मंडी तक प्रोडक्शन को नहीं पहुंचा पाता है। उसको अपने उत्पादित वस्तुओं को किसी साहूकार, बिचौलिया, दलाल आदि को देना पड़ता है। जिसके कारण उसका सही रेट नहीं मिल पाता है। जिससे किसान की पूंजी

में कमी हो जाता है और आखिर में उसको ऋण लेना ही पड़ता है।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या का समाधान :–

1. किसानों द्वारा ज्यादा अच्छा उत्पादन करके हाइब्रिड सीड का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना जिससे की आर्थिक स्थिति में सुधार हो ।
2. साहूकार अधिनियम की धारा 23 के अनुसार यदि कोई साहूकार कर्जदार को परेशान करता है। या कर्ज वसूलने की कोई धमकी देता है। चाहे भले ही कर्जदार का कोई कर्मचारी हो। अगर वह कर्जदार के आस पास, 50 मीटर के अंदर बार–बार चक्कर लगाता है और इस संबंध में यदि कर्जदार उसकी रिपोर्ट पुलिस में करता है तो साहूकार या साहूकार की ओर से उसके एजेंट, मुनीम कोई भी व्यक्ति हो। पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।
3. किसान द्वारा अनावश्यक के व्यय, फालतू के खर्चे इन सब की कमी करना जिससे कि स्थिति में सुधार हो।
4. सहकारी समितियां की स्थापना करना।
5. फसलों का बीमा होना चाहिए जिससे कि अगर किसी कारणवश कोई भी फसल खराब हो जाती है तो सरकार द्वारा किसानों को पर्याप्त पूंजी मिल जाए जिससे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक रहे।
6. आपदा के समय किसानों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। इसके लिए एक आपदा कोष बनाया जाना चाहिए।
7. नए ऋणों पर नियंत्रण करना चाहिए। कम से कम खर्च करके नया ऋण लेने से बचाना चाहिए।
8. साहूकारों पर उचित नियंत्रण करना चाहिए जिससे कि कम ब्याज दर पर किसानों को पैसा मिल सके।
9. साख संस्थाओं का विस्तार करना चाहिए।
10. कृषि में नई तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके।
11. व्यावसायिक बैंकों का विस्तार करना जिससे कि कम ब्याज दर पर किसानों को आसानी से ऋण मिल सके और किसान अपनी खेती से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सके।
12. सहकारी संस्थाओं का विस्तार करना जिसके अंतर्गत प्राथमिक सहकारी समितियां, जिला सहकारी बैंक आदि का विस्तार करना।
13. पुराने ऋण को समाप्त करना जिससे किसान पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर अच्छे से अच्छा उत्पादन कर सके।
14. किसानों में जागरूकता होना चाहिए जैसे कि किसान कॉल सेंटर 2004 में कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया और इसके अंतर्गत सुबह के 6:00 से रात के 10:00 तक किसी भी समय कृषि से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हम ले सकते हैं जिसका टोल फ्री नंबर है– 18001801551, इस नंबर के माध्यम से कृषि विशेषज्ञ द्वारा फसलों में लगने वाले रोग और कीड़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसका रोकथाम कर सकते है।
15. अगर किसान प्लानिंग के साथ काम करें जिससे कि कम से कम लागत आए और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सके। अगर वह ऐसा कर सकता है तो इससे भी किसान ऋणी होने से बच सकता है।